प्रतिवेदन

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अर्न्तगत जनपद–उत्तरकाशी, ब्लाक–मोरी के तोक–पूर्ति का विद्युतीकरण कार्य किया जाना स्वीकृत है। उपरोक्त के लिए सर्वे के समय प्रस्तावक विभाग को ज्ञात हुआ कि विद्युत लाइन आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र से गुजरेगी। विद्युत लाइन का सर्वे रूट इस प्रकार रखा गया है कि विद्युत लाइन निर्माण में कम से कम वनभूमि आये एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। उपरोक्त के संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि केन्द्रीय पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केन्द्र सरकार की बहुप्रतीक्षित व समयबद्ध योजना है जिसमें ससमय पर कार्यों का सम्पन्न होना अति आवश्यक है वर्तमान समय में जनपद उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक तोक–पूर्ति अभी तक अविद्युतीकृत हैं। तोक–पूर्ति का विद्युतीकरण तभी संभव है जबकि तोक–पूर्ति तक विद्युत लाइन बिछाने की स्वीकृति प्राप्त हो सके।

राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, भारत सरकार के F.No.-6-4/2018 WL दिनांक 07.02.2018 के क्रम में उपरोक्त गांव के विद्युतीकरण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

विद्युत लाइन हेतु वन भूमि 0.46 हे0 की मांग की गई है लाइन के प्रस्तावित रूट में कोई मन्दिर, चर्च, कबरिस्तान आदि नहीं पडता है ।

प्रस्तावित लाइन के संयुक्त निरीक्षण वन विभाग, राजस्व विभाग व उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा चुका है।

उक्त विद्युत लाइन हेतु निम्नलिखित भूमि की आवश्यकता होगी ।

सिविल सोयम	–	0.21 हे0
आरक्षित/संरक्षित वन भूमि	–	0.25 हे0
निजी भूमि	–	0.49 हे0
वन पंचायत भूमि	–	शून्य हे0
कुल भूमि	–	0.95 हे0

उपरोक्त कार्य के करने से एक ओर विद्युत विहीन गांवो/तोकों में विद्युत कि सुविधा प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना क्रान्ति की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी ।

अतः सार्वजनिक एवं जनहित के लिए 0.46 हे0 वन भूमि विद्युत लाइन बिछाने हेतु उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरशन लिमिटेड को दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया है ।

अधिशासी अभियन्ता (परियोजना)
ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0
देहरादून